रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2284] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2017/श्रावण 20, 1939
No. 2284] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2017/SRAVANA 20, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2017

का.आ.2605(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4109 (अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 21 दिसम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

और, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिला में अवस्थित है जो क्षेत्र के 1201.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर वनस्पति और जीव जन्तु और स्थानिक प्रजातियों की संख्या का आवास है। रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर जैव विविधता है। इस वन्यजीव क्षेत्रों के अंतर्गत अर्ध शुष्क वन्यजीव जोन-IVख गुजरात राजपूताना, रोजर और पवार वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत है। इस अभयारण्य में क्षेत्र के सभी सामान्य पशु बसे हुए है जैसे मांसाहारी के बीच बाघ (*पैंथरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पैंथरा पारडस*), भेड़िया (*कैनिस लूपस*), सियार (*कैनिस औरेयस*), भारतीय लोमड़ी (*वुलपेस बेंगालेनिसिस*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*), रीछ (*मेलोरस यूसिनस*) और शाकाहारी के बीच चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*क्रेवस यूनिकलर*), नील गाय (*बोसेलफस ट्रेगोकैमलस*), चिंकारा (*गैज़ेला गैज़ेले बेन्नेटी*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), चौसिंगा (*टेट्रासिरस क्वारडिकोनिस*) और काला हिरण (*एन्टिलोप कारवीकापरा*) हैं। इसके अलावा, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छ/घड़ियाल भी दिखाई देते है।

और, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य में 129 वृक्षों की प्रजातियां, 73 जड़ी बूटियों और झाड़ियों की प्रजातियां, 33 पर्वतरोहियों और परजीवी की प्रजातियां, 35 घासों और बांस की प्रजातियां, 35 स्तनधारी, 205 पक्षियों, 14 मछली, 33 सरीसृपों और 10 उभयचरों की प्रजातियां अभिलिखित है ।

और, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है; और

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा एक किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक और परिवेश दो किलोमीटर तक है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 546.52 वर्ग किलोमीटर है । वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांकों को क्रमश: **उपाबंध- I और II** में दिया गया है।

(2) उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले निर्देशांकों और 72 ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) अक्षांश और देशांतर और सीमा वर्णन के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध- IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पर्यावरण पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी। इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का भी विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए भी पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए सारणी के सूचीबद्ध क्रियाकलाप विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए निगरानी समिति के लिए ऐसा अनुमोदित एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के संबद्ध राज्य विधियों और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/ चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना, पर्यावरण और वन के राज्य विभागों के परामर्श , पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार निगरानी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संपर्क के लिए तैयार करेगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए नियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क)पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञा दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.-जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञा दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध नियमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केवल गैर प्रदूषण उद्योग, फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में उद्योगों के वर्गीकरण अनुज्ञा दी जाएगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषित उद्योगों को संवर्धक किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपायों विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक देशी आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित कुटीर उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	मछली पालन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से परे है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (क) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञा भवन, उपविधियों के अनुसार दी जाएगी जैसे.- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित लघु उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची। (ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
16.	वाणिज्यिक बकरी और भेड़ खेती।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
18.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

19.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
20.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
27.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगरीनी समिति गठित करती है, पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	प्रभागीय आयुक्त, भोपाल	- अध्यक्ष ;
(ii)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सम्मिलित करते हुए) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	- सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	- सदस्य;
(iv)	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	– सदस्य ;
(v)	मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	– सदस्य;
(vi)	जिला कलक्टर, रायसेन	– सदस्य ;
(vii)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य विभाग, रायसेन	- सदस्य;
(viii)	जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रायसेन	– सदस्य;
(ix)	नगर और ग्राम योजना विभाग का जिला अधिकारी	– सदस्य;
(x)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	– सदस्य; और
(xi)	प्रभागीय वन अधिकारी, ओबेदुल्लागंज	– सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधनः (1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के गठन के समय तक होगा।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/35/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दक्षिण: रायसेन जिला के बमहोरी श्रेणी के कम्पार्टमेंट सं. 266 की पूर्वी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या पी-714, 271, पी-715, 272 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-716, की उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 273 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 274 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 275 की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 278, 279, 280, 281, पी-718 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 719, 284, 285, 286 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 288, 290, पी-722 की पूर्वी सीमा कम्पार्टमेंट सं. 294 के पूर्वी और दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 295, 296, 297 की दक्षिणी सीमा से समीपवर्ती बिन्दु जाती है। बरखेदा श्रेणी कम्पार्टमेंट सं. 481,479,478, की दक्षिणी सीमाएं, कम्पार्टमेंट सं. आरक्षित वन 581,583,585,591,592,593, पी-963, पी-964, पी-965, पी-976, पी-977 की दक्षिणी सीमाएं, कम्पार्टमेंट सं. पी.979 की पूर्वी सीमाएं है। कम्पार्टमेंट सं. पी-984 के पूर्वी और दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-983, आर एफ 532, 298, 299, पी-945, पी-944 दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-942 पूर्वी सीमा और सेहोरे जिला की देलावरी श्रेणी के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-557 की पूर्वी सीमाएं, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-558 पूर्वी और दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-556,570,567,566 (बी),565,577,564 की दक्षिमी सीमा, अंशतः कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-561 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-576 पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा और इसके बाद अंशतः कम्पार्टमेंट सं. 561 की दक्षिणी सीमा और इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. पी-675 की उत्तरी सीमा और पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी सीमा और अंशतः कम्पार्टमेंट सं. 561 की दक्षिणी सीमा कोलार नदी के पास, जो सभी नाम से जानी जाती है और इसके स्वामित्व के बावजूद (अन्य तो आरएफ और पीएफ के रूप में घोषित) क्रमशः अभयारण्य सीमा से राजस्व में 1 किलोमीटर और वन क्षेत्र में 2 किलोमीटर है।

पश्चिम : सेहोरे जिला दिलावरी श्रेणी अंशतः कम्पार्टमेंट सं. आर एफ 561, कोलर नदी के समीपवर्ती बिंदु से कम्पार्टमेंट सं. आर एफ - 561, 562, 531, पी- 492 की पश्चिमी सीमा और कम्पार्टमेंट सं. पी-493 और पी-517 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, पी-527 और पी-524 की उत्तरी सीमा कोलर नदी के मिलन बिंदु जाती है। रायसेन जिला दहोद श्रेणी कम्पार्टमेंट सं. पी-937, पी-930, पी-938, पी-926 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-919 की दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं, कम्पार्टमेंट सं. पी-918, पी-905, पी-903, पी-900 के ऊपर कम्पार्टमेंट पी-896 और पी-900 की पश्चिमी सीमाएं समीपवर्ती बिंदु के पास, जो सभी नाम से जानी जाती है और इसके स्वामित्व के बावजूद (अन्य तो आरएफ और पीएफ के रूप में घोषित) क्रमशः अभयारण्य सीमा से राजस्व में 1 किलोमीटर और वन क्षेत्र में 2 किलोमीटर है।

उत्तर: जिला रायसेन दाहोद श्रेणी कम्पार्टमेंट सं. पी-896 और पी-900 के पश्चिमी समीपवर्ती बिंदु से कम्पार्टमेंट सं. - पी-896, पी-895 के उत्तर और पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-894 की उत्तर और पूर्वी सीमा, पी – 898, पी-902 की पूर्वी सीमा, पी-908, पी-909 की

उत्तरी सीमा, पी-912 की उत्तरी और पूर्वी सीमा अंशतः पी-913 की पूर्वी सीमा, पी-914, पी-922, पी-923 की पूर्वी सीमा और ओबेदुल्लागंज-रेहती सड़क और कम्पार्टमेंट सं. 302, 301 की उत्तरी सीमा और राजस्व सीमा रेखा से होते हुए जाती है। बरखादा श्रेणी – पी- 958, पी-957, पी-953, पी-952 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-951 की उत्तरी सीमा और राजस्व भूमि से होते हुए जाती है और एन एच 69 को पार करती है और कम्पार्टमेंट सं. पी-959 की उत्तरी सीमा के राजस्व भूमि से होते हुए जाती है, कम्पार्टमेंट सं. पी-960 की उत्तरी और पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-971 की उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट सं. पी-969 की उत्तरी सीमा के रातापानी टैंक बंड से होते हुए जाती है यह कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-309, 310 की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-842, आर एफ-598 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. पी-844, पी-845 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. – 578 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 579 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा है। कम्पार्टमेंट सं. 573 की उत्तरी सीमा । कम्पार्टमेंट सं. आर एफ 572, 569, 566 की पश्चिमी सीमा और बिनेका श्रेणी के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-438, 439 की पश्चिमी सीमा से एन एच-12 के समीपवर्ती बिंदु, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-438 की उत्तरी सीमा से पुनः एन एच-12 जाती है कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-445 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. आर एफ-445, 446, 447, 469 की पूर्वी सीमा अंशतः कम्पार्टमेंट सं. 464 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 466, 487, 488, 489 की उत्तरी सीमा और बरी श्रेणी के कम्पार्टमेंट सं. 289, 288, 287 की पश्चिमी सीमा और कम्पार्टमेंट सं. 529 की पश्चिमी उत्तरी सीमा और कम्पार्टमेंट सं. 528 की उत्तरी सीमा और अंशतः कम्पार्टमेंट सं. 524 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 523, 522, 521, पी-748, 520, 519, 518, 517 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 240 के बमहोरी श्रेणी की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 239 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 231 एवं 232 की पश्चिमी उत्तरी सीमा के साथ भूमि जो सभी नाम से जानी जाती है और इसके स्वामित्व के बावजूद (अन्य तो आरएफ और पीएफ के रूप में घोषित) क्रमशः अभयारण्य सीमा से राजस्व में 1 किलोमीटर और वन क्षेत्र में 2 किलोमीटर है।

पूर्व: कम्पार्टमेंट सं. 232, 233, 234, 236, 245, 246, पी-710, पी-711, 264, 265 एवं 266 की बमहोरी श्रेणी की पूर्वी सीमा के साथ भूमि जो सभी नाम से जानी जाती है और इसके स्वामित्व के बावजूद (अन्य तो आरएफ और पीएफ के रूप में घोषित) क्रमशः अभयारण्य सीमा से राजस्व में किलोमीटर और वन क्षेत्र में 2 किलोमीटर 1 है।

उपाबंध-II

रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

क्षेत्र	निर्देशांक	देशांतर	अक्षांश
रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य	क	77° 20' 9.817" पू	23° 2' 21.742" उ
	ख	77° 25' 39.132" पू	22° 48' 58.759" उ
	ग	78° 16' 31.158" पू	23° 8' 30.593" उ
	घ	78° 12' 19.342" पू	23° 17' 47.545" उ

पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

क्षेत्र	निर्देशांक	देशांतर	अक्षांश
पारिस्थितिक संवेदी जोन	क1	77° 19' 2.020" पू	23° 2' 12.670" उ
	ख1	77° 25' 38.686" पू	22° 48' 24.792" उ
	ग1	78° 17' 7.044" पू	23° 8' 28.575" उ
	घ1	78° 12' 43.135" पू	23° 18' 53.787" उ

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	प्रभाग नाम	ग्रामों के नाम	निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	भोपाल	रबियावाड	23° 04' 6.968" उ	77° 21' 28.384" पू
2	भोपाल	वुरथी	23° 05' 5.480" उ	77° 23' 29.127" पू
3	भोपाल	प्रबाधन	23° 05' 4.885" उ	77° 23' 8.025" पू
4	भोपाल	स्ताहफन	23° 05' 5.871" उ	77° 22' 42.736" पू
5	भोपाल	पुनहा	23° 05' 5.474" उ	77° 22' 17.895" पू
6	भोपाल	बानपुर	23° 05' 5.504" उ	77° 21' 58.945" पू
7	ओबेदुल्लागंज	दमदोंगरी	23° 06' 12.053" उ	77° 50' 13.575" पू
8	ओबेदुल्लागंज	बमहोरी	23° 05' 56.313" उ	77° 52' 25.933" पू
9	ओबेदुल्लागंज	बिनेका	23° 04' 52.457"उ	77° 47' 55.976"पू
10	ओबेदुल्लागंज	बरी	23° 02' 25.432" उ	78° 04' 58.319"पू
11	ओबेदुल्लागंज	जेट	23° 05' 30.496" उ	77° 48' 27.788" पू
12	ओबेदुल्लागंज	थनवारी घटखेरी	23° 10' 0.702" उ	78° 07' 20.854" पू
13	ओबेदुल्लागंज	घाना कलान	23° 07' 12.102" उ	78° 05' 3.789" पू
14	ओबेदुल्लागंज	निवारी	23° 14' 18.020" उ	78° 08' 7.871" पू
15	ओबेदुल्लागंज	घोटी	23° 13' 30.485" उ	78° 08' 22.944" पू
16	ओबेदुल्लागंज	बमौला	23° 13' 6.619" उ	78° 08' 5.744" पू
17	ओबेदुल्लागंज	बहेरिया	23° 11' 41.009" उ	78° 07' 43.877" पू
18	ओबेदुल्लागंज	चोरा कमरौरा	23° 10' 56.911" उ	78° 06' 49.840" पू
19	ओबेदुल्लागंज	बिपतानगर	23° 06' 32.928" उ	78° 03' 23.997" पू
20	ओबेदुल्लागंज	अलामपुर	23° 06' 17.462" उ	78° 03' 40.431" पू
21	ओबेदुल्लागंज	करकबानी	23° 0' 6.924" उ	77° 46' 48.113" पू
22	ओबेदुल्लागंज	उमरिया	23° 0' 53.240" उ	77° 49' 0.496" पू
23	ओबेदुल्लागंज	बोरपानी	23° 0' 53.517" उ	77° 49' 36.896" पू
24	ओबेदुल्लागंज	मोकलवारा	23° 01' 15.227" उ	77° 49' 17.222" पू
25	ओबेदुल्लागंज	केसलवारा	22° 57' 22.067" उ	77° 33' 27.555" पू
26	ओबेदुल्लागंज	निशानखेरा	22° 57' 14.207" उ	77° 32' 54.947" पू
27	ओबेदुल्लागंज	कुमहरिया	22° 57' 53.752" उ	77° 31' 30.417" पू
28	ओबेदुल्लागंज	धबला	22° 58' 29.509" उ	77° 31' 15.799" पू
29	ओबेदुल्लागंज	निशानखेरा	23° 02' 21.082" उ	77° 27' 17.669" पू
30	ओबेदुल्लागंज	बिथोरी	23° 01' 53.801" उ	77° 26' 31.848" पू
31	ओबेदुल्लागंज	कुमरी	23° 02' 15.074" उ	77° 25' 48.020" पू
32	ओबेदुल्लागंज	वन चौकी	22° 58' 29.205" उ	77° 46' 10.503" पू
33	ओबेदुल्लागंज	जतनपुर	22° 58' 19.140" उ	77° 45' 41.574" पू
34	ओबेदुल्लागंज	घाटपिपालिया	23° 06' 15.659" उ	77° 56' 12.577" पू
35	ओबेदुल्लागंज	देहगांव	23° 05' 54.244" उ	77° 56' 52.952" पू
36	ओबेदुल्लागंज	खरी	22° 57' 40.113" उ	77° 41' 0.490" पू

37	ओबेदुल्लागंज	गोरीपुरा	22° 58' 1.001" उ	77° 44' 49.675" पू
38	ओबेदुल्लागंज	बंसगहन	22° 57' 33.282" उ	77° 40' 10.900" पू
39	ओबेदुल्लागंज	आमछा कलान	22° 57' 20.364" उ	77° 35' 1.636" पू
40	ओबेदुल्लागंज	आमछा खुर्द	22° 57' 14.126" उ	77° 36' 36.909" पू
41	ओबेदुल्लागंज	भीयानपुर	22° 57' 21.698" उ	77° 36' 46.618" पू
42	ओबेदुल्लागंज	अनकलपुर	22° 57' 14.889" उ	77° 37' 21.833" पू
43	ओबेदुल्लागंज	महवाखेरी	22° 57' 30.763" उ	77° 38' 29.498" पू
44	ओबेदुल्लागंज	ताजपुरा	22° 57' 30.279" उ	77° 38' 49.852" पू
45	ओबेदुल्लागंज	करीतलाई	22° 57' 27.350" उ	77° 39' 12.152" पू
46	ओबेदुल्लागंज	उदयगिरी	23° 04' 28.586" उ	78° 12' 12.469" पू
47	ओबेदुल्लागंज	दिमरिया	23° 02' 49.196" उ	78° 07' 3.789" पू
48	ओबेदुल्लागंज	पानगर	23°02' 59.227" उ	78° 07' 48.075" पू
49	ओबेदुल्लागंज	रतनपुर	23° 03' 59.931" उ	78° 08' 54.526" पू
50	रायसेन	मधामाउ	23° 07' 42.702" उ	78° 16' 49.273" पू
51	रायसेन	पडरिया	23° 09' 59.341" उ	78° 16' 3.798" पू
52	रायसेन	जयपुरा	23° 08' 52.500" उ	78° 16' 46.364" पू
53	रायसेन	जामगढ़	23° 06' 32.691" उ	78° 15' 47.858" पू
54	रायसेन	समनापुर	23° 17' 26.018" उ	78° 10' 37.442" पू
55	रायसेन	बंदराल	23° 13' 22.925" उ	78° 14' 57.964" पू
56	सेहोरे	सीरवारा	23° 0' 56.849" उ	78° 03' 33.841" पू
57	सेहोरे	पतनी	23° 0' 0.215" उ	78° 04' 16.528" पू
58	सेहोरे	ईमलिया	22° 58' 3.875" उ	78° 02' 58.436" पू
59	सेहोरे	करकादेहरी	22° 57' 31.690" उ	78° 01' 45.815" पू
60	सेहोरे	मलझर	22° 57' 41.673" उ	78° 0' 50.921" पू
61	सेहोरे	अमरगढ़	22° 54' 5.162" उ	77° 45' 31.949" पू
62	सेहोरे	मिडघाट	22° 49' 44.382" उ	77° 39' 9.544" पू
63	सेहोरे	यारनगर	22° 49' 55.972" उ	77° 33' 48.856" पू
64	सेहोरे	बधनी	22° 49' 40.283" उ	77° 31' 19.455" पू
65	सेहोरे	नीमवालखेड़ा	22° 49' 26.180" उ	77° 28' 45.375" पू
66	सेहोरे	नदियाखेड़ा	22° 49' 34.933" उ	77° 28' 12.193" पू
67	सेहोरे	खेरी	22° 48' 47.432" उ	77° 24' 24.904" पू
68	सेहोरे	बरधा	22° 49' 38.849" उ	77° 25' 13.168" पू
69	सेहोरे	जोहलियापुर	22° 50' 42.227" उ	77° 23' 59.802" पू
70	सेहोरे	अमदोह	22° 51' 23.737" उ	77° 22' 45.028" पू
71	सेहोरे	बाबरियाखाल	22° 58' 54.070" उ	77° 23' 1.250" पू
72	सेहोरे	बरिझीरी का पथार	22° 59' 25.571" उ	77° 22' 51.898" पू

उपाबंध IV

रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

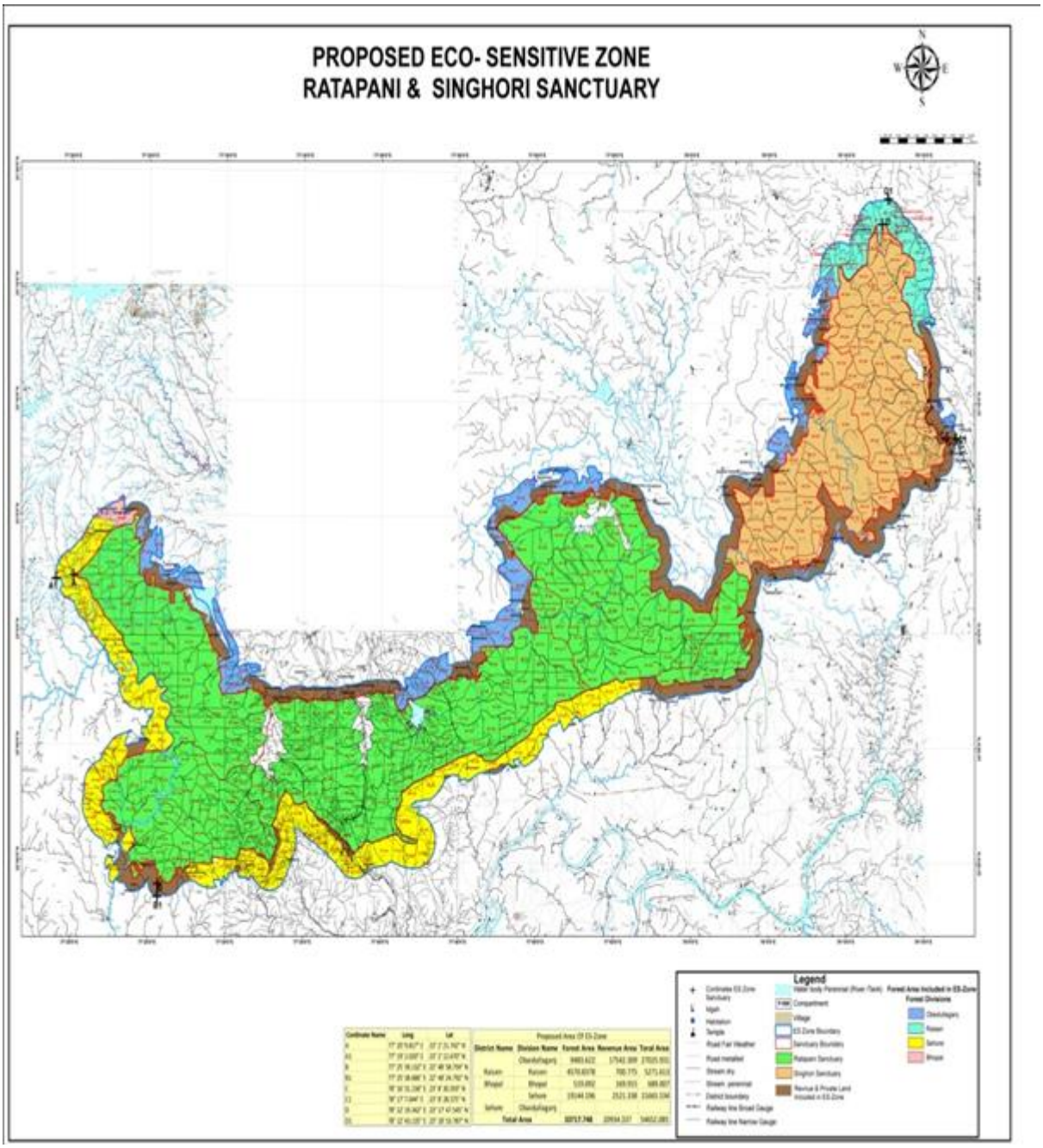

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2017

S.O.2605(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4109 (E), dated the 21st December, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette were made available to the public on the dated the 21st December, 2016.

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary spreads over an area of 1201.29 Square Kilometers is located in Raisen district in the State of Madhya Pradesh;

AND WHEREAS, the Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary is extremely rich in flora and fauna and harbours a number of endemic species. Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary are rich in biodiversity. These wildlife areas are classified into semi arid wildlife zone - IV B Gujarat Rajputana, under Roger and Pawar classification. The sanctuary is inhabited by all the usual animals of the region, such as Tiger (Panthera tigris) leopard (Panthera pardus), Wolf (Canis lupus), Jackal (Canis aureus), indian fox (Vulpes bengalensis), Striped hyena (Hyaena hyaena) Sloth bear (Melursus ursinus) among carnivores and spotted deer (Axis axis), Sambhar (Cervus unicolor), Nilgai (Boselaphus tragocamelus), Chinkara (Gazella gazelle bennetti), Wild pig (Sus scrofa), Chowsingha (Tetracerus quadriconis) and Blackbuck (Antelope cervicapra), amongst herbivores. Apart from these, crocodiles/gharials can also be seen in Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary.

AND WHEREAS, it contains 129 tree species, 73 herbs and shrubs species, 33 climbers and parasites, 35 grasses and bamboo species, 35 mammals, 205 birds, 14 fish, 33 reptiles and 10 species of amphibians have been recorded in Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone; and

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent one kilo meter around the boundary of Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary of the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometer in the revenue area and two kilometer in the surrounding forest area from the boundary of Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary. The area of Eco sensitive Zone is 546.52 square kilometers. The boundary description of Eco-sensitive Zone and co-ordinates of Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I and II respectively.**

(2) The list of 72 villages and their co-ordinates falling under the said Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-III**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture & Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal & urban development;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation

of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016,.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Fishing .	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Commercial Goat and sheep farming.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation.

21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation.
22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:—

(i) Divisional Commissioner, Bhopal —Chairman;

(ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh —Member;

(iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh —Member;

(iv) Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board —Member;

(v) Chief Conservator of Forests, Bhopal —Member

(vi)	District Collector, Raisen	—Member
(vii)	Superintending Engineer, Public Health Dept. Raisen	—Member
(viii)	Chief Executive Officer of Zilla Panchayat, Raisen	—Member
(ix)	District Officer of Town and Country planning Department	—Member
(x)	Biodiversity Expert	—Member; and
(xi)	Divisional Forest Officer, Obedullaganj	—Member-Secretary

6. Terms of Reference: (1) The tenure of the monitoring committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Govt.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/35/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

Boundary description of Eco-sensitive zone

South: District Raisen Range Bamhori adjoining point of eastern boundary of compt. No. 266 and southern boundary of compt. No. P-714, 271, P-715, 272, northern-eastern and southern boundary of compt. no.P-716, western boundary of compt. No. 273, southern boundary of compt. 274, southern and western boundary of compt. no.275, eastern boundary of compt. no.278, 279, 280, 281, P-718, southern boundary of compt. 719, 284, 285, 286, eastern boundary of compt. no.288, 290, P-722, eastern and southern boundary of compt. no.294, southern boundary of compt. 295, 296, 297. Range Barkheda Southern boundaries of compt No 481,479,478, Southern boundaries of compt No RF-581,583,585,591,592,593, P-963,P-964,P-965,P-976,P-977, Eastern boundary of compt No P-979. Eastern and Southern boundary of compt No P-984, Southern boundary of compt No P-983, RF 532, 298, 299, P-945, P-944, Eastern boundary of compt No P-942, and District Sehore Range Delawari Eastern boundaries of compt No RF-557, Eastern and Southern boundary of compt No RF-558, Southern boundary of compt No RF-556,570,567,566 (B),565,577,564, partially Southern boundary of compt No RF-561, Eastern,Southern and Western boundary of compt No RF-576, and then partially Southern boundary of compt No RF 561 and then partially northern boundary and Eastern Southern Western boundary of compt No P-675 and partially southern boundary of compt No RF 561 adjoining to Kolar River

all the lands, known by whatever name and irrespective of its ownership (other then those declared as RF & PF) 1km in revenue and 2 km in forest area from the sanctuary boundary respectively.

West : District Sehore Range Delawari partially southern boundary of compt No RF 561 adjoin point of Kolar River to Western boundary of compt No RF-561,562,531, P- 492, Western and Northern boundary of compt P-493 and P-517, Northern boundary of P-527 and P-524 to the meeting point of Kolar River. District Raisen Range Dahod Western boundary of compt No P-937, P-930, P-938,P-926, Southern and Western boundaries of compt No P-919, Western boundaries of compt No P-918, P-905, P-903, P-900 upto Compt P-896 and P-900 of western adjoin point. with all the lands, known by whatever name and irrespective of its ownership (other then those declared as RF & PF) 1km in revenue and 2 km in forest area from the sanctuary boundary respectively.

North: District Raisen Range Dahod Compt P-896 and P-900 of western adjoin point to North and Western boundary of compartment No - P-896, P-895, North and Eastern boundary of Compt No P-894, Eastern boundary of P – 898, P-902, Northern boundary of P-908, P-909, Northern and eastern boundary of P-912 Partial east boundary of P-913, Eastern boundary of P-914, P-922, P-923 and Obaidullaganj - Rehti Road and Northern boundary of compt 302, 301 and through the Revenue boundary line. Barkhada Range Northern boundary of compt No – P- 958, P-957, P-953, P-952, northern boundary of compt No P-951 and through revenue Land. and cross the NH 69 and through revenue land to the northern boundary of compt No P-959, Northern and Eastern boundary of compt No P-960. northern boundary of compt No P-971 and through Ratapani tank bund to the northern boundary of compt No P-969 this is Southern boundary of compt No RF-309, 310 Northern boundary of compt No P-842, RF-598, Western and Northern boundary of compt No P-844, P-845, Northern boundary of compt No – 578, western and northern boundary of compt No 579. Partly northern boundary of compt No 573. Western boundary of compt No RF 572,569,566 and Range Bineka Western boundary of compt No RF-438, 439 to adjoin point of NH-12, Northern boundary of compt No RF-438 to continue edge of NH-12 upto Northern boundary of compt No. RF-445, Eastern boundary of compt No RF-445, 446,447,469 Partially northern boundary of compt No 464, Northern boundary of compt No 466,487,488,489 and Range Bari western boundary of compt No 289, 288, 287, and western northern boundary of compt. No. 529 and northern boundary of compt. No. 528 and partial northern boundary of compt. No. 524 western boundary of compt. No. 523, 522, 521, P-748, 520, 519, 518, 517, western and northern boundary of range Bamhori compt. no. 240, northern boundary of compt. no. 239, western northern boundary of compt. no. 231 & 232 with all the lands, known by whatever name and irrespective of its ownership (other then those declared as RF & PF) 1km in revenue and 2 km in forest area from the sanctuary boundary respectively.

East: Eastern boundary of Range Bamhori compt. No. 232, 233, 234, 236, 245, 246, P-710, P-711, 264, 265 & 266 with all the lands, known by whatever name and irrespective of its ownership (other then those declared as RF & PF) 1km in revenue and 2 km in forest area from the sanctuary boundary respectively.

ANNEXURE- II

Co-ordinates of Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary

Area	Co-ordinates	Longitude	Latitude
Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary	A	77° 20' 9.817" E	23° 2' 21.742" N
	B	77° 25' 39.132" E	22° 48' 58.759" N
	C	78° 16' 31.158" E	23° 8' 30.593" N
	D	78° 12' 19.342" E	23° 17' 47.545" N

Co-ordinates of Eco-Sensitive Zone

Area	Co-ordinates	Longitude	Latitude
Eco-sensitive Zone	A1	77° 19' 2.020" E	23° 2' 12.670" N
	B1	77° 25' 38.686" E	22° 48' 24.792" N
	C1	78° 17' 7.044" E	23° 8' 28.575" N
	D1	78° 12' 43.135" E	23° 18' 53.787" N

ANNEXURE- III

Detail of Villages within the Eco-sensitive Zone

S.no.	Division Name	Name of Villages	Co-ordinates	
			Lat.	Long.
1	Bhopal	RABIYAWAD	23° 04' 6.968" N	77° 21' 28.384" E
2	Bhopal	VURTHI	23° 05' 5.480" N	77° 23' 29.127" E
3	Bhopal	PRABADHAN	23° 05' 4.885" N	77° 23' 8.025" E
4	Bhopal	STAHPHAN	23° 05' 5.871" N	77° 22' 42.736" E
5	Bhopal	PUNHA	23° 05' 5.474" N	77° 22' 17.895" E
6	Bhopal	BANPUR	23° 05' 5.504" N	77° 21' 58.945" E
7	Obedullahganj	DAMDONGRI	23° 06' 12.053" N	77° 50' 13.575" E
8	Obedullahganj	BAMHORI	23° 05' 56.313" N	77° 52' 25.933" E
9	Obedullahganj	BINEKA	23° 04' 52.457" N	77° 47' 55.976" E
10	Obedullahganj	BARI	23° 02' 25.432" N	78° 04' 58.319" E
11	Obedullahganj	Jet	23° 05' 30.496" N	77° 48' 27.788" E
12	Obedullahganj	THANWARI GHATKHERI	23° 10' 0.702" N	78° 07' 20.854" E
13	Obedullahganj	GHANA KALAN	23° 07' 12.102" N	78° 05' 3.789" E
14	Obedullahganj	NIWARI	23° 14' 18.020" N	78° 08' 7.871" E
15	Obedullahganj	GHOTI	23° 13' 30.485" N	78° 08' 22.944" E
16	Obedullahganj	BAMUILA	23° 13' 6.619" N	78° 08' 5.744" E
17	Obedullahganj	BAHERIA	23° 11' 41.009" N	78° 07' 43.877" E
18	Obedullahganj	CHORA KAMRAURA	23° 10' 56.911" N	78° 06' 49.840" E
19	Obedullahganj	BIPTANAGAR	23° 06' 32.928" N	78° 03' 23.997" E
20	Obedullahganj	ALAMPUR	23° 06' 17.462" N	78° 03' 40.431" E
21	Obedullahganj	KARAKBANI	23° 0' 6.924" N	77° 46' 48.113" E
22	Obedullahganj	UMARIYA	23° 0' 53.240" N	77° 49' 0.496" E
23	Obedullahganj	BORPANI	23° 0' 53.517" N	77° 49' 36.896" E
24	Obedullahganj	MOKALWARA	23° 01' 15.227" N	77° 49' 17.222" E
25	Obedullahganj	KESALWARA	22° 57' 22.067" N	77° 33' 27.555" E
26	Obedullahganj	NISHANKHERA	22° 57' 14.207" N	77° 32' 54.947" E
27	Obedullahganj	KUMHARIYA	22° 57' 53.752" N	77° 31' 30.417" E
28	Obedullahganj	DHABLA	22° 58' 29.509" N	77° 31' 15.799" E
29	Obedullahganj	NISHANKHERA	23° 02' 21.082" N	77° 27' 17.669" E
30	Obedullahganj	BITHORI	23° 01' 53.801" N	77° 26' 31.848" E
31	Obedullahganj	KUMRI	23° 02' 15.074" N	77° 25' 48.020" E
32	Obedullahganj	FOREST CHAUKI	22° 58' 29.205" N	77° 46' 10.503" E
33	Obedullahganj	JATANPUR	22° 58' 19.140" N	77° 45' 41.574" E
34	Obedullahganj	GHATPIPALIYA	23° 06' 15.659" N	77° 56' 12.577" E
35	Obedullahganj	DEHGAON	23° 05' 54.244" N	77° 56' 52.952" E
36	Obedullahganj	KHARI	22° 57' 40.113" N	77° 41' 0.490" E

37	Obedullahganj	GORIPURA	22° 58' 1.001" N	77° 44' 49.675" E
38	Obedullahganj	BANSGAHAN	22° 57' 33.282" N	77° 40' 10.900" E
39	Obedullahganj	AMCHHA KALAN	22° 57' 20.364" N	77° 35' 1.636" E
40	Obedullahganj	AMCHHA KHURD	22° 57' 14.126" N	77° 36' 36.909" E
41	Obedullahganj	BHIYANPUR	22° 57' 21.698" N	77° 36' 46.618" E
42	Obedullahganj	ANKALPUR	22° 57' 14.889" N	77° 37' 21.833" E
43	Obedullahganj	MAHWAKHERI	22° 57' 30.763" N	77° 38' 29.498" E
44	Obedullahganj	TAJPURA	22° 57' 30.279" N	77° 38' 49.852" E
45	Obedullahganj	KARITALAI	22° 57' 27.350" N	77° 39' 12.152" E
46	Obedullahganj	UDAYAGIRI	23° 04' 28.586" N	78° 12' 12.469" E
47	Obedullahganj	DIMRIA	23° 02' 49.196" N	78° 07' 3.789" E
48	Obedullahganj	PANAGAR	23°02' 59.227" N	78° 07' 48.075" E
49	Obedullahganj	RATANPUR	23° 03' 59.931" N	78° 08' 54.526" E
50	Raisen	MADHAMAU	23° 07' 42.702" N	78° 16' 49.273" E
51	Raisen	PADARIYA	23° 09' 59.341" N	78° 16' 3.798" E
52	Raisen	JAIPURA	23° 08' 52.500" N	78° 16' 46.364" E
53	Raisen	JAMGARH	23° 06' 32.691" N	78° 15' 47.858" E
54	Raisen	SAMNAPUR	23° 17' 26.018" N	78° 10' 37.442" E
55	Raisen	BANDRAL	23° 13' 22.925" N	78° 14' 57.964" E
56	Sehore	Sirwara	23° 0' 56.849" N	78° 03' 33.841" E
57	Sehore	Patni	23° 0' 0.215" N	78° 04' 16.528" E
58	Sehore	Imaliya	22° 58' 3.875" N	78° 02' 58.436" E
59	Sehore	Karkadehri	22° 57' 31.690" N	78° 01' 45.815" E
60	Sehore	Maljhar	22° 57' 41.673" N	78° 0' 50.921" E
61	Sehore	Amargarh	22° 54' 5.162" N	77° 45' 31.949" E
62	Sehore	Midghat	22° 49' 44.382" N	77° 39' 9.544" E
63	Sehore	Yaarnagar	22° 49' 55.972" N	77° 33' 48.856" E
64	Sehore	Budhni	22° 49' 40.283" N	77° 31' 19.455" E
65	Sehore	Neemwalakheda	22° 49' 26.180" N	77° 28' 45.375" E
66	Sehore	Nadiakheda	22° 49' 34.933" N	77° 28' 12.193" E
67	Sehore	Kheri	22° 48' 47.432" N	77° 24' 24.904" E
68	Sehore	Bardha	22° 49' 38.849" N	77° 25' 13.168" E
69	Sehore	Johliapur	22° 50' 42.227" N	77° 23' 59.802" E
70	Sehore	Amdoh	22° 51' 23.737" N	77° 22' 45.028" E
71	Sehore	Babariakhal	22° 58' 54.070" N	77° 23' 1.250" E
72	Sehore	Barijhiri ka Pathar	22° 59' 25.571" N	77° 22' 51.898" E

ANNEXURE- IV

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE OF RATAPANI & SINGHORI WILDLIFE SANCTUARY

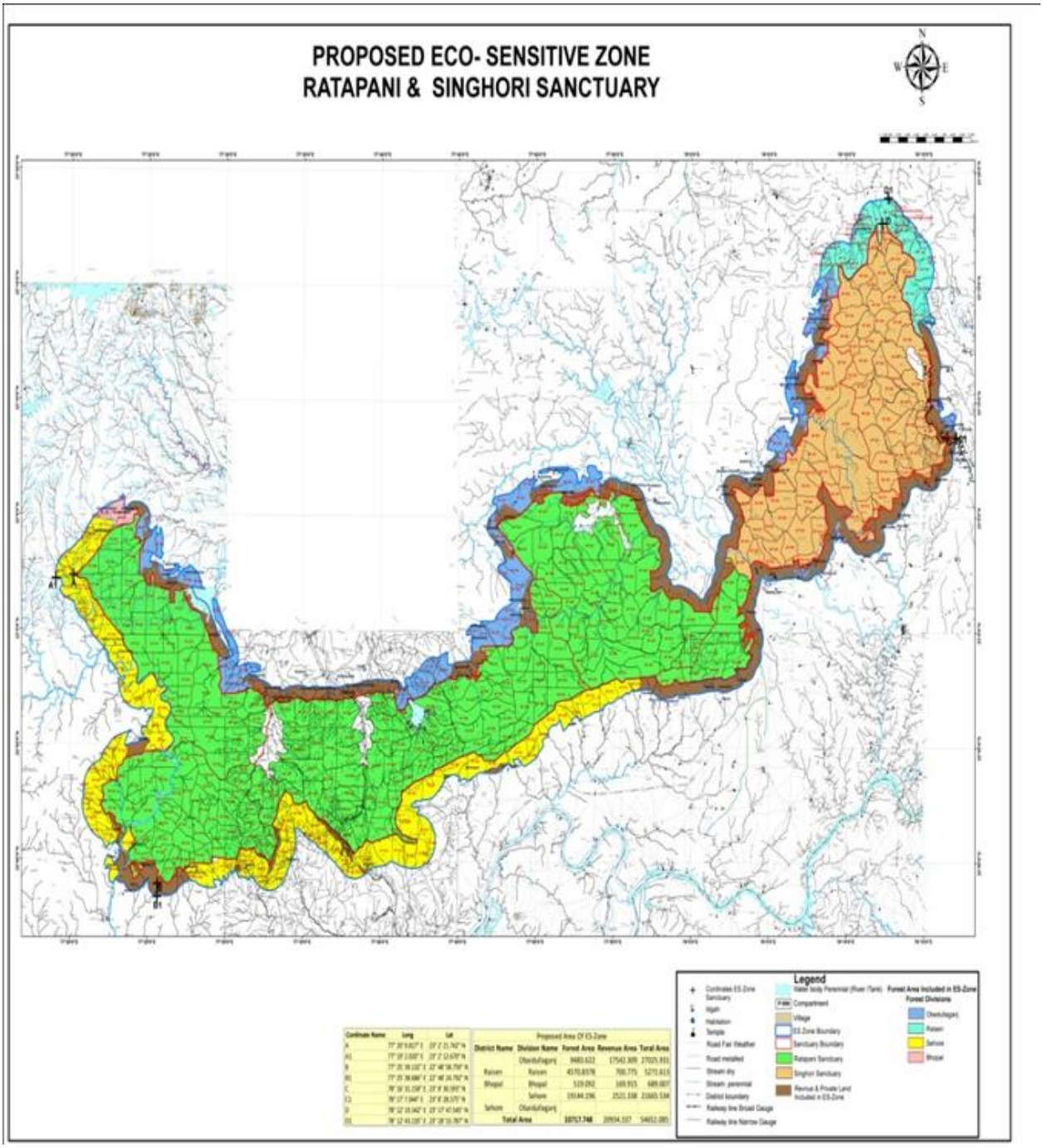

Annexure V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.17 18:50:38 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.